

क्रमांक-प.1(ग) ()का/एसएमई/डीएलबी/18/19944

दिनांक:-10/8/2018

-: आदेश :-

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनस्थ संवर्ग के फायरमैन एवं सफाई वर्ग के निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-

| क्र.सं. | नाम कर्मिक | पदनाम | कहाँ से | कहाँ को |
|---------|-----------------------------|---------------|---------|---------|
| 1 | श्री दौलतराम कुशवाह | फायरमैन | छबड़ा | अन्ता |
| 2 | श्रीमती आशा/स्व. श्री सूरज | सफाई कर्मचारी | बाडमेर | जोधपुर |
| 3 | श्री सुरेश/श्री सुखाराम | सफाई कर्मचारी | बाडमेर | जोधपुर |
| 4 | श्री श्यामलाल/श्री बिरदालाल | सफाई कर्मचारी | बाडमेर | जोधपुर |

विभागीय आदेश क्रमांक प.1(ग) ()का/एसएमई/डीएलबी/18/17046-17075 दिनांक 16.07.2018 के द्वारा श्री अमित पुत्र श्री हरिया, श्री हरेश बाबू सिरसिया पुत्र श्री विजयसिंह, सफाई कर्मचारियों का नगर पालिका, खेडली से क्रमशः नगर पालिका, कामा व नगर में किये गये स्थानान्तरण को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

उक्त कर्मचारियों को तुरन्त पदस्थापित स्थान के लिए कार्यमुक्त कर शिघ्र विभाग को अवगत करावे।

नोट-

01. स्थानान्तरित कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावे अन्यथा व्यक्ति जिम्मेदारी होगी।
02. स्थानान्तरित कर्मचारियों का सेवामिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हे वेतन का भुगतान किया जावे।
03. यदि कोई कर्मचारी दैनिक वेतनमांगी/सविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
04. यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।
05. वर्ष 2018 में लाटरी के द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारियों का उक्त सूची में नाम हो तो स्थानान्तरण नहीं माना जावे।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:-प.1(ग) ()का/एसएमई/डीएलबी/18/19945-19961 दिनांक:-10/8/2018

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
03. महामौर/समापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशोषी अधिकारी/नगर निगम/परिषद/पालिका /जोधपुर/बाडमेर/छबड़ा/अन्ता।
04. उप निदेशक क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, कोटा/जोधपुर।
05. संबंधित कर्मचारी
06. सुरक्षित पत्रावली।

(डॉ वीरेन्द्र सिंह)

उप निदेशक (प्रशासन)